

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

मोहम्मद साबिर का स्थानांतरण व्याख्याता उर्दू के पद पर आदेश क्रमांक:- शिविरा/मा./सस्था/सी-5/स्थानांतरण पदस्थापन/2018 दिनांक 13.08.18 द्वारा राउमावि गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर से राउमावि गलवा राजसंमद में किया गया था। याचिकार्थी ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपने स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध अपील संख्या 3065/2018 दायर की। अपनी अपील में अपीलार्थी ने व्यक्त किया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गंगापुरसिटी ने कार्यालय आदेश दिनांक 2/8/18 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाये जा रहे संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान 2018 के तहत स्वीप गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु अपीलार्थी को अग्रिम आदेशों तक अध्यापन कार्य के साथ साथ निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु नियुक्त किया है इसलिये अपीलार्थी का स्थानांतरण नहीं जा सकता। अपील के संदर्भ में पारित निर्णयानुसार माननीय न्यायालय ने अपील को अप्रार्थीगण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अप्रार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण करने के आदेश दिये। तदनु रूप अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

अपील द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन का विभागीय अभिलेखों के साथ अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि अपीलार्थी को स्वंय के साक्षात्कार दिये जाने के आधार पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में आर0पी0 पद पर सीबीईईओ खडार, सवाईमाधोपुर में आदेश क्रमांक शिविरा/मा./सस्था-4/सी-8/समसा-प्रतिनियुक्ति/2018 दिनांक 05/10/18 से प्रतिनियुक्ति पर लगाया जा चुका है। उक्त आधार पर अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। समस्त संबंधित पक्षकार सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 9-10-18

**क्रमांक:- शिविरा/मा./संस्था सी-5/अभ्यावेदन/2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभागाध्यक्ष
2. संबंधित उपनिदेशक, उदयपुर
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी विधि माध्यमिक शिक्षा जयपुर को अभ्यावेदन निस्तारण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. सहायक निदेशक विधि अनुभाग निदेशालय बीकानेर को बी-3 अभ्यावेदन निस्तारण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. संबंधित संस्था प्रधान,
7. संबंधित कार्मिक
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा

निदेशालय-बीकानेर